

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अलवर (राजस्थान)

प्रार्थना पत्र संख्या 15/10/2019 रजिस्ट्रेशन नं० 2019/00018 प्रवेश तिथि 13/02/2019 निर्णय दिनांक 28.06.2022

1. पंजाब एण्ड सिंध बैंक, शाखा सी-3 ए, रीको चौक होटल स्वागत भिवाड़ी, जिला अलवर राजस्थान-जरिये प्राधिकृत अधिकारी।

—प्रार्थी

बनाम

1. श्री हेमपाल कुमार पुत्र श्री रघुबीर सिंह, निवासी (अ) मकान नं० 105ए, ग्राम जौरासी खोरी कला, तहसील तौरु, जिला मेवात (हरियाणा)-122105 एवं (ब) कार्यालय मैसर्स न्यू बालाजी रोड नं० 7, शेर सिंह मार्केट, मेन घाटल रोड ढाबा कॉम्प्लेक्स भिवाड़ी, जिला अलवर राजस्थान-301019 (स) मकान नं० 6/185, यूआईटी भिवाड़ी, जिला अलवर राजस्थान-301019

गारन्टर

1. श्रीमती प्रमीला देवी पत्नी श्री हेमपाल कुमार, निवासी (अ) मकान नं० 105ए, ग्राम जौरासी खोरी कला, तहसील तौरु, जिला मेवात (हरियाणा)-122105 एवं (ब) कार्यालय मैसर्स न्यू बालाजी रोड नं० 7, शेर सिंह मार्केट, मेन घाटल रोड ढाबा कॉम्प्लेक्स भिवाड़ी, जिला अलवर राजस्थान-301019 (स) मकान नं० 6/185, यूआईटी भिवाड़ी, जिला अलवर राजस्थान-301019
2. श्री मुकेश कुमार यादव पुत्र श्री जलसिंह यादव, निवासी मकान नं० 3/61 यूआईटी, भिवाड़ी, जिला अलवर राजस्थान-301019

—अप्रार्थीगण/ऋणी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 दी सिक्वोरटाईजेशन एण्ड रीकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेशियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002

—:: निर्णय ::—

प्राधिकृत अधिकारी की ओर से यह प्रार्थना अन्तर्गत धारा 14 दी सिक्वोरटाईजेशन एण्ड रीकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेशियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002 प्रस्तुत किया गया। जिसके द्वारा निवेदन किया गया है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी को दिनांक 14.06.2013 को 13,00,000/-रूपये (Rupees Thirteen Lakh Rupees Only) को उपलब्ध कराई थी, जो दिनांक 30.6.2018 को Total Aggregating Loan Amount Rs. 11,17,358.50/- (Rupees Eleven Lakh Seventeen Thousand Three Hundred Fifty Eight And Paise Fifty Only) है। ब्याज/लेट पेमेन्ट पेनेल्टी/अन्य चार्जेज के सहित एवं इसके आगे का ब्याज व अन्य खर्च की अदायगी। तथा अप्रार्थी ऋणियों/जमानतदारों द्वारा ऋण के पेटे में प्रतिभूति के बतौर अप्रार्थीगण द्वारा स्वयं की सम्पत्ति "श्री हेमपाल कुमार पुत्र श्री रघुबीर सिंह की मकान नं० 6/185, यूआईटी, भिवाड़ी जिला अलवर राजस्थान स्थित सम्पत्ति (बैंक में उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार क्षेत्रफल 60 वर्ग मी०)" को रहन रखा गया था। अप्रार्थी ने तयशुदा शर्तों के मुताबिक प्रार्थी द्वारा दिए गए ऋण का भुगतान नहीं किया।

उक्त ऋण राशि की अदायगी के लिए उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत रजिस्टर्ड नोटिस भेजा गया परन्तु अप्रार्थीगण के द्वारा ऋण राशि की अदायगी नहीं की गई। प्रार्थी ने अप्रार्थीगण को "श्री हेमपाल कुमार पुत्र श्री रघुबीर सिंह की मकान नं० 6/185, यूआईटी, भिवाड़ी जिला

जिला कलक्टर अलवर

भारत
रित व
पाता है

एण्ड रि
:- सी-
प्राधिकृत

पाल कु
नान नं.
गा)-122
र्यालय :
स, भिवा
न नं.

प्रमीला
न नं.
गा)-122
र्यालय :
स, भिवा
न नं. 6
कुमार
3/61

दि-
स्थ

अलवर राजस्थान स्थित सम्पत्ति (बैंक में उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार क्षेत्रफल 60 वर्ग मी०)" को नो परफोर्मिंग एसेट्स घोषित कर दिया गया है जिसका कब्जा लेने का अधिकार बैंक को है।

प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित आया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि अप्रार्थी/ऋणी द्वारा उपलब्ध ऋण नियमानुसार प्रार्थी बैंक को नहीं चुकाया है, जिसकी वजह से उक्त खाता दिनांक 30.06.2018 को एन.पी.ए घोषित कर प्रार्थी बैंक ने ऋणी/अप्रार्थी (सह ऋणी) एवं जमानती को दिनांक 10.08.2018 को एक्ट की धारा 13(2) का रजिस्टर्ड नोटिस दिया जाना अवगत कराया है, लेकिन नोटिस की रजि० डाक की तामिल एवं ट्रैकिंग रिपोर्ट पेश नहीं की है। जिससे यह जाहिर नहीं होता है कि अप्रार्थी/ऋणी एवं जमानती को उक्त नोटिस की तामिल हुई हों। प्रार्थी बैंक का प्रार्थना पत्र खारीज योग्य है।

उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी बैंक का प्रार्थना पत्र खारीज किया जाता है। इस न्यायालय की पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 28.06.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(शिवप्रसाद नकाते)
जिला मजिस्ट्रेट, अलवर